FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल

घनश्याम बनाम नन्दलाल

मु0नं0 12 /2012

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना–पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2012	प्रार्थी ने जरिऐ अभिभाषक अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.02.2012 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती हैं कि मौजा ग्राम जायल में विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 492 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1648 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जमीन के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि क्यों न इस आदेश को ता फैसला वाद पुख्ता किया जावें अगर इसमें किसी प्रकार की आपति हो तो असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29.02.2012 को पेश हो। सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.), जायल।	64-65 2/2/12
	29/2/12 वकील प्रार्थी उप0। नोटिस अप्रा0 किये गये। आज पीठासीन अधिकारी जी नागौर पधारे हैं। पत्रावली रिनीड 28/3/12 को पेश हो।	
	28/3/12 वकील प्रार्थी उप0। पीठासीन अधिकारी जी कोर्ट में पधारे हैं। पत्रावली रिनीड 22/5/12 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

16.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकीलान को बहस हेतु काफी अवसर दिये जा चुके है उस के बावजूद भी बहस नहीं कर रहे है बहस का अवसर बंद किया जाता है पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2-5-18 को पेश हो।
23.5.18	पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र जायल में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मिसल बंदोबस्त संवत् 2006 में अप्रार्थी बजरंगलाल व नन्दलाल की हैसियत डोलीदार खुदकाश्त दर्ज है। यह भूमियां पुजारी के डोली की भूमियां है जो पुजारियों को सेवा पूजा करने के एवज में काश्त करने के लिये दी जाती थी जो पुजारियों की डोली होती थी। मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 492 व 1648 की भूमियां भी पुजारियों के डोली की भूमियां है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति की काश्त नहीं मानी जा सकती है। अगर किसी की काश्त दर्ज है तो वो पुजारी की सहमति से काश्त करते थे जो खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। काश्त पुजारी की ही मानी जाती है। यह भूमियां बजरंगलाल, नन्दलाल पि. गणपतलाल जाति ब्राह्मण से मुकता शर्मा w/o नवरंगलाल शर्मा कौम ब्राह्मण नि: जायल के नाम से खातेदारी में दर्ज है, जो कि रेकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी सं. 03 ने यह भूमियां खरीद कर प्राप्त की है जो विधि सम्मत है, रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर

खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला नागौर

Scanned by CamScanner